International Journal of Humanities, Commerce and Education
Volume 2 | Issue 5 | May 2026 (Special Issue) | ISSN: 3108-0456 (Online)
Available online at: https://ijhce.com/
DOI: https://doi.org/10.59828/ijhce.v2i5.61

स्थानीय शासन में सहकारी समितियों के योगदान का अध्ययन

सरिता भारती[1], डॉ० विनोद कुमार[2]

[1]शोध छात्रा-हिन्दी, वी० एस० एस० डी० पी० जी० कालेज कानपुर
Email: saritabharti7@gmail.com,
[2]सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य, राजकीय महाविद्यालय हंसौर बाराबंकी
Email: dr.vkvs343@gmail.com

Received: 12 April 2026 | **Accepted:** 26 April 2026 | **Published:** 15 May 2026

Abstract (सारांश)

स्थानीय शासन में सहकारी समितियों की भूमिका ग्रामीण और शहरी विकास को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां स्वेच्छा से जुड़े व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है, जो अपने पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। स्थानीय शासन, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर, सहकारी समितियां पंचायती राज संस्थाओं की सहायक के रूप में काम करती हैं और 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करती हैं। यह अध्ययन भारत में सहकारी आंदोलन, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के साथ उनके अभिसरण के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। स्थानीय शासन में सहकारी समितियों का प्रमुख योगदान जैसे आर्थिक समावेश, ग्रामीण विपणन और प्रसंस्करण, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचनात्मक विकास, स्थानीय शासन को मजबूती तथा प्रमुख उपलब्धियाँ जैसे डेयरी सहकारिता, डिजिटल पैक्स, बहुउद्देशीय समितियां तथा चुनौतियां और बाधाएं जिसमे सीमित कार्यशील पूंजी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जागरूकता का अभाव, तकनीकी पिछड़ापन, आधुनिकीकरण की गति धीमी होना, आदि का अध्ययन करता है जबकि इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए स्वायत्तता, पेशेवर प्रबंधन, और डिजिटलीकरण की आवश्यक है यह अवधारणा जिम्मेदारियों और संसाधनों के बंटवारे और उन नीतियों और कार्यक्रमों के सहयोग पर जोर देता है

मुख्य शब्द- *स्थानीय शासन, सहकारी समितियों की उपलब्धियाँ, चुनौतियां और निष्कर्ष।.*

1. प्रस्तावना

जमीनी स्तर पर शासन का तात्पर्य स्थानीय निकायों (पंचायती राज और नगर पालिकाएं) के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना है। स्थानीय शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्थानीय शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमे व्यक्ति स्वयं के विकास की ज़िम्मेदारी लेते है यह स्थानीय स्तर पर प्रशासन मे लोगो की समूहिक साझेदारी द्वारा गाँव का विकास की परंपरागत व्यवस्था प्रणाली भी है। भारतीय परिवेश मे प्रजातांत्रिक सामंतवादी पंचायती राज का मौलिकता गाँव मे देखा जा सकता है राष्ट्रीय जीवन मे पंचायतों की महत्ता को ध्यान मे रखकर स्वतन्त्रता के बाद देश के नीति निर्माताओं ने इस दिशा मे विशेस ध्यान दिया क्यूकि पंचायते इस देश की मेरुदंड है। देश के पहले प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू पंचायतों के प्रबल हिमायती तथा ग्राम गणतन्त्र के पक्षधर थे। उनका कहना था- **"गाँव के लोगों को अधिकार सौपना चाहिए, उनको काम दो, चाहे वे हजारों गलतिया करें, इससे घबराने की जरूरत नहीं है पंचायतों को अधिकार दों।"** नेहरू की पहल पर वर्ष 1952 मे सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शुरू तो किया गया किन्तु इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए परिणाम स्वरूप कार्यक्रमों मे जनसहयोग बढ़ाने और उसमे आम आदमी की सीधी भागीदारी के लिए किसी प्रणाली पर विचार एवं अनुशंसा हेतु 2 अक्तूबर, 1957 को केंद्र सरकार द्वारा बलवंतराय मेहता समिति गठित की गयी। इसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए स्थानीय स्वशासन के तीन स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गयी। निचले स्तर पर गाँव मे 'ग्राम पंचायत' मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा जिले स्तर पर जिला परिषद के रूप मे त्रिस्तरीय

This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
© The Author(s) 2026. IJHCE Published by Surya Multidisciplinary Publication.

ढांचा तैयार किया गया। इस नयी त्रिस्तरीय व्यवस्था देश मे सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले मे 2 अक्तूबर, 1959 को तथा आंध्र प्रदेश मे 1 नवंबर 1959 को लागू की गयी ।

नेहरू जी के देहावसान के बाद मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के तीन अवस्थाए -1) वर्ष 1959 से 1964 तक आरोहण, 2) वर्ष 1965 से 1969 तक निष्क्रियता 3) वर्ष 1969 से 1977 तक अवनति की स्थिति थी, कारण राजनेताओं मे पंचायती राज संस्थों को शक्तिशाली बनाने के प्रति कोई उंत्साह न होना, पंचायतीराज की वैचारिक अवधारणा का स्पष्ट न होना, पंचायती राज संस्थाओं पर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों का वर्चस्व होना आदि था । इसके बाद 64वे संविधान संशोधन विधेयक की संशोधित प्रति के रूप मे पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव के कार्यकाल मे 16 दिसंबर 1991 को 73वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत किया गया जो 25 अप्रेल 1993 से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पूरे देश मे लागू किया गया। जिसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसके प्रावधानों को अनुछेद 243, भाग-9 मे शामिल किया गया अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।

भारत मे पंचायती राजव्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद से जहा शासन जन-समान्य के दरवाजे तक पाहुचा है वही स्थानीय विकास कार्यो ने गति पकड़ी, ग्राम स्तरीय स्वशासन मे जहां ग्राम्यवासियों की भागीदारी बढ़ी है , वही अब स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान भी निकल रहा है प्रत्येक स्तर पर सरपंचो, प्रधानो एवं जिला प्रमुखों आदि को महत्व दिया जा रहा है। इससे देश मे स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं की स्थापना हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है, विकास कार्यों के प्रति जन रुझान को बढ़ाने मे जहा पंचायते यथेष्ट योगदान दे रही है। पंचायती राजव्यवस्था की उपलब्धि है कि स्थानीय समस्याओं के कारण सरकारों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ वही पंचायतों के पदाधिकारिओ एवं कार्यकर्ताओं पर सरकारी तंत्र कि निर्भरता बढ़ी है

सहकारिता और स्थानीय शासन: भारत में 3 मिलियन सहकारी समितियां हैं, जिनमे 12 मिलियन सदस्य हैं। ये समितियां, विशेष रूप से पैक्स (Primary Agricultural Credit Societies), जमीनी स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारीता देश के कुल कृषि ऋण का 20%, उर्वरक वितरण का 35% और दूध उत्पादन का 10% से अधिक हिस्सा प्रबंधित करता है। केंद्र सरकार 10,000 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित कर रही है, जो हर पंचायत और गांव को जोड़ने एवं संबृद्धि कार्य कर रही हैं। सहकारी संघवाद और जमीनी शासन का एकीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 इस क्षेत्र को नई गति देने के लिए किया गया है। ये समितियां (जैसे SEWA -Self Employed Women's Association) जमीनी स्तर पर महिलाओं और छोटे किसानों को सशक्त बनाकर समावेशी विकास को आगे बढ़ाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सहकारी संस्था को इस प्रकार परिभाषित करता है: "एक स्वायत्त संघ जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से एकजुट होकर अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करते हैं"। सहकारी समितियाँ आत्मनिर्भरता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, निष्पक्षता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित होती हैं। अपने संस्थापकों की परंपरा का पालन करते हुए, सहकारी समिति के सदस्य ईमानदारी, पारदर्शिता, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल जैसे नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। सहकारी समितियाँ आम तौर पर ऐसे लोगों से बनी होती हैं जो समुदाय के विकास और उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसलिए वे अक्सर अपने सामुदायिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए परोपकारी गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। इन गतिविधियों में समुदाय और स्थानीय कृषि को लाभ पहुँचाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, स्थानीय संगठनों के लिए धन, भोजन या स्वयंसेवी सेवा के रूप में दान जुटाने के लिए अभियान चलाना और सामुदायिक भागीदारी के लिए निःशुल्क शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियाँ प्रदान करना शामिल है।

2 सहकारी समितियों की भूमिका:

सहकारी संरचना कृषि में गहरी जड़ें जमाए एक स्थापित सामुदायिक संस्था है। सहकारी संस्था का कानूनी स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण इसके सदस्यों के पास होता है, जिससे वे इसकी सामाजिक और आर्थिक सफलता में भागीदार बन पाते हैं, साथ ही पूरे मौसम के दौरान होने वाले जोखिमों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है। सहकारी संस्था के सदस्य होने के नाते, उत्पादक अपने उत्पाद के मूल्य पर बेहतर ढंग से बातचीत और सहमति बना सकते हैं, जिससे उन्हें खरीदारों के साथ अधिक लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इससे उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए प्रीमियम प्राप्त करने और खरीदारों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का अवसर मिलता है। सदस्यता शुल्क सहकारी संस्था के लिए कार्यशील और निवेश पूंजी प्रदान करता है, और अधिशेष राजस्व सदस्यों को वापस कर दिया जाता है। किसी सहकारी संस्था के वांछित उद्देश्यों में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

i) किसानों को अपनी फसलों के लिए दीर्घकालिक, सुरक्षित बाजार मिले, जहां उन्हें ऐसी कीमतें मिलें जो उनके और उनके परिवारों के लिए आरामदायक जीवन यापन सुनिश्चित कर सकें।

ii) उपभोक्ताओं को मौजूदा गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों के बराबर कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय भोजन तक सुविधाजनक पहुंच प्राप्त हो।

iii) समुदाय के हर व्यक्ति को पर्याप्त पौष्टिक भोजन की सुरक्षित उपलब्धता हो।

iv) किसान और उपभोक्ता एक दूसरे को जानते हों और समुदाय में एक दूसरे के योगदान और जरूरतों की सराहना और सम्मान करते हों।

v) उपभोक्ताओं का स्वस्थ और जागरूक होना, और उपलब्ध खाद्य/स्वास्थ्य शिक्षण संसाधनों का उपयोग करना, जैसे कि व्यंजन विधि, पोषण मूल्यांकन, और संरक्षण, उत्पादन आदि पर जानकारी/कक्षाएं।

vi) युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक ऐसे समुदाय को देख सकें और उसका निर्माण कर सकें जो आने वाली पीढ़ियों को स्थानीय भोजन से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम बनाए।

अ) आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार- सहकारी समितियाँ सदस्यों को एकजुट करके, व्यापक स्तर पर सहयोग प्रदान करके, समन्वय स्थापित करके और बेहतर विपणन के माध्यम से किसानों की सफलता में योगदान दे सकती हैं। सहकारी समितियाँ स्थानीय किसानों के लिए लाभ और उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, और खाद्य उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय को स्थानीय स्तर पर बनाए रखकर समुदाय की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा, सहकारी समिति के सफल गठन और संचालन से होने वाला सामाजिक पुनरुद्धार, समुदाय-आधारित खाद्य प्रणाली में दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।

ब) विपणन/ब्रांडिंग के माध्यम से कृषि संवर्धन- सहकारी समिति अपनी विपणन रणनीति के तहत कृषि ब्रांडों को बढ़ावा देना चुन सकती है। थोक बिक्री की तुलना में यह किसानों के लिए एक लाभ है, क्योंकि थोक खरीदारों के साथ अक्सर फार्म का नाम जुड़ जाता है - उपभोक्ता उस फार्म का नाम नहीं सुन पाते जहाँ से उत्पाद आया है। जब कोई सहकारी समिति अपने विपणन में उत्पादकों को बढ़ावा देती है, तो सभी को लाभ होता है: सहकारी समिति के पास एक प्रभावी विपणन रणनीति होती है, किसानों को ब्रांड की पहचान मिलती है, और ग्राहक को यह पता होता है कि उत्पाद कहाँ से आया है।

स) मानव संसाधनों का कुशल उपयोग- इस प्रकार के उद्यम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कई भूमिकाओं की आवश्यकता होती है। कई मामलों में, एक ही कर्मचारी कई भूमिकाएँ निभाता है, जिससे कर्मचारियों की लागत में बचत हो सकती है। इसके अलावा, पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ-साथ अक्सर अंशकालिक मौसमी श्रमिक और स्वयंसेवी कर्मचारी भी काम करते हैं। चूंकि खाद्य सहकारी समितियाँ अक्सर एक सामाजिक उद्देश्य के आधार पर कार्य करती हैं, इसलिए स्वयंसेवी श्रमिकों का उपयोग समुदाय को जोड़ने और व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान करने में सहायक होता है।

द) परोपकार- इक्कीसवीं सदी में सहकारी समितियों के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि "टिकाऊ खाद्य प्रणालियों और स्वस्थ समुदायों का भविष्य अक्सर साहसी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले नवोन्मेषी विचारों पर निर्भर करता है।" सहकारी समितियाँ अक्सर साहसी कार्यकर्ता की इस भूमिका को बखूबी निभाती हैं, क्योंकि देश भर में विभिन्न समुदायों में उनकी उपस्थिति सामाजिक न्याय और लघु कृषि की व्यापक मान्यता में उनके योगदान का प्रमाण है।

3. अध्ययन का उद्देश्य-

सहकारी समितियां स्वेच्छा से जुड़े व्यक्तियों का एक ऐसा संघ है, जो अपने पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। स्थानीय शासन, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर, सहकारी समितियां, पंचायती राज संस्थाओं की सहायक के रूप में काम करती हैं और 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करती हैं।

i) स्थानीय शासन में सहकारी समितियों की भूमिका का विश्लेषण एवं अध्ययन करना।

ii) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के आर्थिक योगदान का अध्ययन करना

iii) स्थानीय शासन और सहकारिता के माध्यम से सच्चे लोकतंत्र की प्राप्ति को समझना।

iv) स्थानीय शासन और सहकारी समितियों के बीच समन्वय की चुनौतियों की पहचान करना।

4. साहित्यावलोकन-

किसी भी शोध कार्य को करने के लिए पहले शोध से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों, लेखों का अध्ययन करना अतिआवश्यक है, जिसमें अनेक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझा गया तथा कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट का भी अध्ययन किया गया है। इसमें विशेष रूप से डॉ बी एल फड़िया की पुस्तक भारत मे लोक प्रशासन, डॉ अतुल लोहिया के भारतीय प्रशासनिक सेवा के नोट्स, डा0 बागेश्वर सिंह की पुस्तक 'भारत में स्थानीय स्वशासन', मीनाक्षी पवार की पुस्तक- ''पंचायतीराज और ग्रामीण विकास', डा0 रूपा मंगलानी की पुस्तक-'भारतीय शासन एवं राजनीति' तथा प्रो0 ज्योति प्रसाद सूद की पुस्तक-''आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास' के अन्तर्गत ग्राम-स्वराज, लोकतंत्र पंचायतीराज और विकेन्द्रीकरण का विश्लेषण किया है। परीक्षा मंथन के हिन्दी निबंध एवं उपलब्ध साहित्य एवं अध्ययन की निरन्तरता की दिशा में प्रस्तुत शोध पत्र एक गम्भीर एवं सारगर्भित प्रयास है। स्थानीय शासन और सहकारिता भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व हैं, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर जनभागीदारी को सुनिश्चित करते हैं।

5.सहकारी समितियों की उपलब्धियाँ-

स्थानीय शासन में सहकारी समितियाँ, आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कम आय वाले लोगों को एकजुट होकर कृषि, ऋण और विपणन जैसे क्षेत्रों में संसाधन जुटाने, रोजगार सृजन और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करती हैं। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से लगभग 10 करोड़ महिलाएं सहकारी समितियों से जुड़ी हैं, जो महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देती हैं।

अ) वित्तीय समावेशन और ऋण सुविधा: सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाती हैं। 1904 के एक्ट के बाद से ये ऋण के माध्यम से किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) किसानों को आसान ऋण, खाद, और बीज उपलब्ध कराकर साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाती हैं।

ब) कृषि और ग्रामीण विकास: ये समितियाँ खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की स्थानीय स्तर पर आपूर्ति करती हैं। NCBA CLUSA के अनुसार, ये किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने में सहायक हैं। सहकारी विपणन समितियां किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करती हैं और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करती हैं।

स) स्थानीय रोजगार सृजन: PIB के अनुसार, डेयरी, हस्तशिल्प और कृषि क्षेत्रों में ये संस्थाएं स्थायी, समावेशी और विकास-उन्मुख रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। अमूल जैसे मॉडल ने ग्रामीण उत्पादकों को सीधे बाजार से जोड़ा है और आय में वृद्धि की है। डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां गाँव स्तर पर संपत्ति का निर्माण और आय में वृद्धि करती हैं।

द) लोकतांत्रिक भागीदारी: सहकारी समितियाँ लोकतांत्रिक नियंत्रण (एक सदस्य-एक मत) के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।10,000 से अधिक नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियां, जो सहकारिता मंत्रालय की पहल पर स्थापित की गई हैं। सहकारी समितियां पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाती हैं। नई राष्ट्रीय सहकारी नीति के तहत पैक्स का डिजिटलीकरण और उन्हें पंचायत स्तर तक मजबूत करने का कार्य प्रगति पर है।

य) स्थानीय निकायों के साथ सहयोग: पंचायतें और स्थानीय सरकारें, कृषि, सिंचाई और विपणन कार्यों के लिए इन समितियों के साथ सहयोग करती हैं, जिससे सामुदायिक विकास की प्रक्रिया तेज होती है।

र) सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण: ये समितियाँ स्थानीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं में मदद करती हैं और लाभ को सदस्यों के बीच साझा करती हैं, ICA के अनुसार इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

6. सहकारी समितियों की चुनौतियां-

सहकारी समितियों के पास अक्सर पर्याप्त निधियों का अभाव, सदस्यों में सहकारी सिद्धांतों और शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव, तकनीकी पिछड़ापन आधुनिकीकरण की गति धीमी तथा सहकारी समितियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

अ) नियामक विखंडन: एक प्रमुख संघर्ष उस स्थिति में मौजूद है जहाँ सहकारी समितियों का पंजीयक (राज्य प्राधिकारी) समामेलन, प्रशासन और परिसमापन का प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग लाइसेंस और पूंजी पर्याप्तता जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों को नियंत्रित करता है। इससे अधिकार क्षेत्र के विवाद, असंगत पर्यवेक्षण और नियामक अंतर उत्पन्न होते हैं।

ब) शासन संबंधी कमियाँ: विभिन्न सहकारी समितियों में पारदर्शिता और वास्तविक लोकतांत्रिक प्रथा की कमी के कारण अभिजात वर्ग का नियंत्रण, खराब जवाबदेही और सदस्यों के आवागमन को कम होता है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का पतन सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से जुड़ा था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का असंतुलन, प्रशासनिक अड़चनें और धन का अभाव, सहकारीता और स्थानीय शासन के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं।

स) वित्तीय बाधाएँ और अविकसित अवसंरचना: कई संस्थान पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिससे नुकसान को कम करने, आर्थिक तनाव का सामना करने या विस्तार को निधि देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और बाज़ार संबंधों की गंभीर कमी कृषि और ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती हैं।

द) परिचालनात्मक और तकनीकी बाधाएँ: एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल विभाजन मौजूद है, जहाँ कई ग्रामीण सहकारी समितियों के पास आधुनिक डिजिटल अकाउंटिंग, ERP सिस्टम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खराब फिजिकल कनेक्टिविटी और कमज़ोर रसद सहकारी नेटवर्क की दक्षता और भौगोलिक विस्तार को सीमित करती हैं।

य) सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: पूर्व-मौजूद सामाजिक पदानुक्रम, जाति-आधारित विभाजन और संरचनात्मक असमानताएँ सहकारी समितियों के भीतर समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जो उनके समावेशी आदर्शों के विपरीत है।

र) तीव्र बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा: सहकारी समितियाँ वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों को बनाए रखने के लिये संघर्ष करती हैं, जो अधिक परिष्कृत उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

7.भारत में सहकारी समितियों को मज़बूत करने के उपाय-

भारत का सहकारी क्षेत्र वर्तमान में डिजिटल और रणनीतिक विस्तार के दौर से गुज़र रहा है। समावेशी समृद्धि के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये इसे शासन, वित्त तथा प्रतिस्पर्द्धा में मौजूद लगातार चुनौतियों को तत्काल संबोधित करना चाहिये, साथ ही नीति, तकनीक एवं सदस्यों की भागीदारी का प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिये।

अ) तकनीकी एकीकरण: मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन खाता खोलना और डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करें ताकि टेक-प्रेमी सदस्यों को आकर्षित किया जा सके और संचालन की दक्षता बढ़ाई जा सके। सामान्य ERP सॉफ्टवेयर, डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम और ई-कॉमर्स एकीकरण जैसे– ONDC और GeM प्लेटफॉर्म लागू करना ताकि संचालन सरल हो और बाज़ार में पहुँच का विस्तार हो सके।

ब) वित्तीय गहनता: सहकारी वित्तीय संस्थाओं को मूलभूत बचत/ऋण से आगे बढ़कर निवेश उत्पाद, बीमा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करने चाहिये, ताकि सदस्य समग्र वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। सदस्य MSMEs को क्रेडिट फ्लो बेहतर बनाने के लिये को-ऑपरेटिव्स को MUDRA, CGTMSE और NABARD जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं से औपचारिक रूप से जोड़ा जाए।

स) संस्थागत सशक्तीकरण: सहकारी संस्थाओं के लिये संगठित प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएँ, और क्लीयर कैरियर पाथवे लागू किये जाएँ ताकि पेशेवर प्रबंधकों की एक मज़बूत टीम तैयार की जा सके।

द) मूल्य श्रृंखला विकास: गोदाम, शीत भंडारण और सामान्य सुविधा केंद्र जैसी अवसंरचना में सार्वजनिक तथा सहकारी निवेश को प्राथमिकता दी जाए, ताकि व्यर्थता कम हो एवं बाज़ार तक पहुँच बेहतर हो सके। इसके अलावा सदस्य-स्वामित्व वाली लॉजिस्टिक सहकारी संस्थाएँ स्थापित करने से सप्लाई चेन लागत कम होगी व दक्षता बढ़ेगी।

य) ब्रांडिंग और विविधीकरण: प्रीमियम कीमतें प्राप्त करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रमाणन के साथ मज़बूत 'अंब्रेला ब्रांड' जैसे– "CoopMade" या "भारत ऑर्गेनिक्स" विकसित एवं प्रचारित करना। ईको-टूरिज़्म, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक कृषि (जैसे– हाइड्रोपोनिक्स) व डिजिटल सेवाओं में सहकारी मॉडलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ताकि उन्हें नवाचार केंद्रों के रूप में पुन: स्थापित किया जा सके।

8. निष्कर्ष

स्थानीय शासन और सहकारिता मिलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। जहाँ पंचायती राज राजनीतिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों को शासन से जोड़ता है, वहीं सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों संस्थानों को एक साथ काम करने की कल्पना की थी, क्योंकि दोनों में लोकतांत्रिक चरित्र है, जो एक जन आंदोलन का मुख्य सिद्धांत है। देश मे पंचायती राजव्यवस्था को अधिक सफल और प्रभावी बनाने के लिए सर्वप्रथम जागरूकता को बढ़ाना जरूरी है। इनमे व्याप्त गुटबाजी एवं सतही राजनीति को उखाड़ फेकने के साथ यह भी आवश्यक है की पंचायतों के चुनाओं के प्रति जनता के उत्साह को बढ़ाया जाय तथा ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जय की मतदान शत-प्रतशत हो तथा निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ हो। चयन मे योग्यता को वरीयता दी जाय, न की जाति धर्म को । मतदाता धन के प्रलोभन मे न पड़े तथा स्वच्छ छवि के नेतृत्व को तैयार करें ।

पंचायती राजव्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्वावलंबी बनाने के लिए हमे ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि इनके पास अर्थ के अपने स्वतंत्र स्रोत हो, ताकि इन्हे आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े । जब अर्थ के स्वतंत्र स्रोत होंगे तब शासकीय अनुदान पर इनकी निर्भरता भी कम होगी तथा नौकरशाही से भी राहत मिलेगी। भारतीय लोकतन्त्र कि सफलता एवं इसके उज्ज्वल भविष्य का दारोमदार बहुत कुछ पंचायती राजव्यवस्था की सफलता पर टिका है । यदि हमे भारतीय लोकतन्त्र को अधिक जीवंत और सशक्त बनाना है तो स्थानीय शासन मे और निखार लाने होंगे। ग्रामीण विकाश एवं जनता के मध्य बेहतर तारतमय स्थापित करना होगा। स्थानीय शासन सस्थाओं के भारतीय संबिधान का हिस्सा बन जाने के बाद से अधिक मुखर व सशक्त होकर सामुदायिक लोकतन्त्र की अवधारणा को साकार कर रही है। सहकारी समितियां स्थानीय शासन की नींव को मजबूत करती हैं। इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए स्वायत्तता, पेशेवर प्रबंधन, और डिजिटलीकरण आवश्यक है। 'सहकारिता से समृद्धि' के लक्ष्य को पाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी समितियों के बीच बेहतर अभिसरण की आवश्यकता है जिससे आने वाले दिनो मे यह व्यवस्था अधिक परपकव व प्रभावशाली सिद्ध होगी, ऐसी आशा करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

[1]. अग्रवाल, अनिल (सम्पा.). *परीक्षा मंथन: यूपीपीएससी सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2016 हिन्दी निबंध.* इलाहाबाद: प्रधान कार्यालय, सिविल लाइंस, पृ. 61–63।

[2]. आशीर्वाद्य, ए. डी., एवं मिश्रा, कृष्णाकान्त. (2010). *राजनीति विज्ञान.* नई दिल्ली: एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा. लि.

[3]. गोयल, एस. एल., एवं रजनीश, शालिनी. *Panchayati Raj in India: Theory and Practice.*

[4]. लोहिया, अतुल. *पंचायतीराज एवं लोक प्रशासन.* नई दिल्ली: प्रभा अकादमी भारतीय प्रशासनिक नोट्स, Vol. IV, पृ. 1–11।

[5]. फड़िया, बी. एल. (2006). *भारतीय लोक प्रशासन.* आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ. 20–29।

[6]. गाँधी, महात्मा. (2019). *हिन्द स्वराज.* शिक्षा भारती।

[7]. कटार, सिंह एवं विश्व बल्लभ. *सहकारी प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन में एक खोजपूर्ण अध्ययन.* नई दिल्ली।

[8]. *कुरूक्षेत्र.* (जुलाई 2018). नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

[9]. लक्ष्मीकान्त, एम. (2017). *भारत की राजव्यवस्था.* नई दिल्ली: मैकग्रा हिल पब्लिशर्स।

[10]. महीपाल. (2019). *पंचायतीराज: चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय न्यास पुस्तक।

[11]. मैक्सी, सी. सी. (2012). *Political Philosophy*. नई दिल्ली: सूरजीत पब्लिकेशन।

[12]. नलिनी कुमार. (2017). *ऑपरेशन फ्लड: लिटरेचर रिव्यू एंड रिकन्सिलिएशन.* समसामयिक प्रकाशन, 13, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद।

[13]. महेश्वरी, श्रीराम. (1990). *भारत में स्थानीय शासन.* आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।

[14]. *प्रतियोगिता दर्पण सीरीज-4 हिन्दी मासिक सामान्य अध्ययन: भारतीय राजव्यवस्था.* (2005). आगरा: उपकार प्रकाशन, पृ. 125–126।

[15]. पाण्डेय, विमल चन्द्र. (2017). *प्राचीन भारत का इतिहास.* नई दिल्ली: एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा. लि.

[16]. रहीम, के. एम. बी., एवं कटार सिंह. (2016). *पश्चिम बंगाल में समुद्री मछुआरों की सहकारी समितियाँ.*

[17]. राजगोपालन, आर. (2016). *Rediscovering Co-operation Connectivity Summary*. ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान, आनंद।

[18]. *Report of the Working Group on Panchayati Raj Institution and Rural Governance*. भारत सरकार।

[19]. सत्यसाई, के. जे. एस., एवं विश्वनाथन, के. यू. (2018). "Restructuring the Co-operative Credit Structure: Integration of Short Term and Long Term Structures." *Indian Journal of Agricultural Economics*, 53(3), 478–487।

[20]. शांति जॉर्ज. (2015). *वर्तमान भारतीय डेयरी नीति का मूल्यांकन.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

[21]. शियानी, आर. एल., एवं धोनिया, डी. डी. (2016). "सहकारी सिंचाई सोसायटी की भूमिका और प्रदर्शन: एक केस स्टडी." *Indian Journal of Agricultural Economics*, 51(4)।

[22]. सूद, ज्योति प्रसाद. (2013). *आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास.* मेरठ: के नाथ एण्ड कम्पनी।

[23]. कटारिया, सुरेन्द्र. (2003). *ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज.* जयपुर: आर.बी.एस.ए. पब्लिशर।

[24]. कटारिया, सुरेन्द्र. (2007). *पंचायती राज संस्थाएँ: अतीत, वर्तमान और भविष्य.* जयपुर: नेशनल पब्लिकेशन हाउस।

[25]. शर्मा, आलोक. (2011). "गाँवों के शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका." *कुरूक्षेत्र*, अगस्त 2011।

[26]. *वार्षिक प्रतिवेदन 2024–2025: पंचायती राज मंत्रालय.* भारत सरकार।

[27]. *वार्षिक प्रतिवेदन 2024–2025: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय.* भारत सरकार।

Cite this Article:

सरिता भारती, विनोद कुमार *(2026). स्थानीय शासन में सहकारी समितियों के योगदान का अध्ययन. International Journal of Humanities, Commerce and Education, 2(5), 14–19.*

Journal URL: *https://ijhce.com/* ***DOI:*** *https://doi.org/10.59828/ijhce.v2i5.61*